



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2539]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 2539]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3284(अ).—कयर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे, संसद सदस्य, राज्य सभा को कयर बोर्ड का सदस्य सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 29 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ 2677(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

2. उक्त अधिसूचना में शीर्ष "श्रेणी-(ई)" के अंतर्गत क्रम संख्या 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, नामतः-

क्र.सं.	नाम और पता
"3.	डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे, संसद सदस्य, राज्य सभा महाराष्ट्र सदन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001."

[फा.सं.6(2)/2014-कयर]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की सं. का.आ 2677(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2016

S.O. 3284(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe, Member of Parliament, Rajya Sabha to be a Member of the Coir Board for a period upto 29th September, 2018, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette and for the said purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, number S.O. 2677(E) dated the 30th September, 2015, namely:—

2. In the said notification, under the heading “Category-(e)”, after serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

Sl.No.	Name and address
“3.	Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe, Member, Rajya Sabha, Maharashtra Sadan, Copernicus Marg, New Delhi-110001.”

[F.No.6(2)/2014-Coir]

B.H. ANIL KUMAR, Jt.Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2677(E), dated the 30th September, 2015.